न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/78/2024 रजू दिनांकः 16.05.2024 रजि0 न0 2024/128

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री विष्णु पुत्र श्री ब्रिजेन्द्रसिंह, निवासी बिसडा, पोस्ट झाडोली, तहसील सायला, जिला भरतपुर–321001 (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 03.06.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.05.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/845 दिनांक 23.05.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से, प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 11.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए विनिश्चय पत्र सं0 742 दिनांक 08.05.2024 के विरूद्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई में अपीलार्थी के प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 11.04.24 में वांछित सूचना संबंधित अनुभाग–भू–अभिलेख प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सं0 6376 दिनांक 07.05.2024 के अनुसार अपूर्ण/अस्पष्ट होने, साथ ही प्रश्नगत सूचना CAA Rules 16(3) के तहत दस्तावेजों की प्रतिलिपि/नकल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तद्नुसार अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 11.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में विधिक विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना संबंधित अनुभाग–भू–अभिलेख प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर के पत्र सं0 6376 दिनांक 07.05.2024 के अनुसार अपूर्ण/अस्पष्ट होने, साथ ही प्रश्नगत सूचना CAA Rules 16(3) के तहत दस्तावेजों की प्रतिलिपि/नकल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तद्नुसार अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 11.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में विधिक विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है। सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)